



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23102023-249655
CG-MH-E-23102023-249655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]
No. 724]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 20 अक्टूबर, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/159.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 18 में, उप-विनियम (1) में,—

(1) खंड (ड) में, शब्दों "जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए" के बाद दिए हुए चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न "।" आ जाएगा;

- (2) (उप-खंड (ड) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—
“परंतु यह कि निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में अंतरित (ट्रांसफर) की गई रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।”
- (3) उप-खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—
“(च) यदि किसी व्यक्ति की ऐसी कोई रकम, जिस पर कोई दावा न किया गया हो या जिसका भुगतान न किया गया हो, उप-खंड (ड) के अनुसार निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में अंतरित (ट्रांसफर) कर दी गई हो, तो उस रकम पर दावा उसी प्रकार किया जा सकेगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./506/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-
 - क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा
 - ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा
 - ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा
 - घ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा
 - ङ. 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा
 - च. 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - छ. 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा
 - ज. 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा
 - झ. 31 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

- ज. 4 मई, 2022 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83, द्वारा
- ट. 1 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101, द्वारा
- ठ. 14 फरवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023-122, द्वारा
- ड. 4 जुलाई, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ढ. 16 अगस्त, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th October, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/159.— In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, in regulation 18, in sub-regulation (6), –

(1) in sub-clause (e), the symbol “.” after the words “specified by the Board” shall be substituted with the symbol “:”;

(2) in sub-clause (e), the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that the amount transferred to Investor Protection and Education fund shall not bear any interest.”

(3) after sub-clause (e), the following sub-clause shall be inserted, namely, –

“(f) the unclaimed or unpaid amount of a person that has been transferred to the Investor Protection and Education Fund in terms of sub-clause (e), may be claimed in such manner as may be specified by the Board.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./506/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –
 - a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.
 - b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
 - c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.
 - d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.
 - e. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.
 - f. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.
 - g. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.
 - h. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.
 - i. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 31, 2021.
 - j. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83, with effect from May 4, 2022.
 - k. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/101 with effect from January 1, 2023.
 - l. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/122 with effect from February 14, 2023.
 - m. Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137 with effect from July 4, 2023.
 - n. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/145 with effect from August 16, 2023